

राजस्थान लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के तहत विभाग की अधिसूचित 19 सेवाओं के आधार पर तैयार नागरिक अधिकार पत्र (सिटीजन चार्टर)

क्र.सं.	विभाग की अधिसूचित सेवाएं	कार्य निष्पादन की समय-सीमा
1	नाम हस्तान्तरण	30 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
2	भूखण्ड का उप विभाजन/पुनर्गठन	45 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
3	दस्तावेज/मानचित्र की प्रति प्राप्त करना	30 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
4	लीज मुक्ति प्रमाण पत्र	30 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
5	योजना का मानचित्र अनुमोदन	45 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
6	भवन मानचित्र अनुमोदन	30 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
7	सामुदायिक केन्द्र का आरक्षण	7 दिवस (पूर्ण एवं समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर)
8	अमानत राशि का भुगतान	15 दिवस
9	धरोहर राशि का भुगतान	30 दिवस
10	कब्जा पत्र	15 दिवस (मौके पर विकास कार्य, डिमार्केशन एवं सम्पूर्ण बकाया राशि जमा होने के पश्चात)
11	लीज डीड जारी करना	30 दिवस (मौके पर विकास कार्य, डिमार्केशन एवं सम्पूर्ण बकाया राशि जमा होने के पश्चात)
12	विक्रय अनुमति	21 दिवस (लीज डीड की शर्तों की पूर्ण पालना होने पर एवं सम्पूर्ण देय राशि जमा होने के पश्चात)
13	अनापत्ति प्रमाण पत्र	21 दिवस (अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत देय राशि जमा कराने एवं अन्य औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त)
14	राजस्व अधिनियम 1956 के धारा 90ए के तहत कृषि भूमि का अकृषि भूमि प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण की कार्यवाही	45 दिवस
15	भवन मानचित्र अनुमोदन पश्चात् प्लिन्थ लेवल तक निर्माण के बाद मौका निरीक्षण कर भवन मानचित्र जारी किये जाना	7 दिवस (पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात)
16	कम्प्लीशन / ओक्यूपेंसी सर्टिफिकेट	8 दिवस (7 दिवस मौका निरीक्षण 1 दिन)
17	भू-उपयोग परिवर्तन (स्थानीय स्तरीय)	60 दिवस (पूर्ण एवं संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)
18	भू-उपयोग परिवर्तन (राज्य स्तरीय)	90 दिवस (पूर्ण एवं संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)
19	टेलीकॉम टॉवर/ओ.एफ.सी. के बल हेतु अनुमति जारी किया जाना	60 दिवस (पूर्ण एवं संबंधित दस्तावेज संलग्न करने पर)